न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/91 **दायरा दिनांक : 19.06.2023**

उनवान

भोलीबाई आयु 74 वर्ष पुत्री श्री मूल्या पत्नि श्री कन्हैयालाल, जाति कोली, निवासी ग्राम गगचाना, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1. शंकरलाल, आयु 64 वर्ष पुत्र श्री मूल्या, जाति कोली, निवासी ग्राम चरड़ाना हाल मुकाम पेट्रोल पम्प के पास, सालपुरा स्टेशन कवाई, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
2. दयाकृष्ण दत्तक पुत्र मन्ना, जाति कोली, निवासीगण ग्राम चरड़ाना, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
3. रामकिशन आयु 54 वर्ष पुत्र श्री मदना, जाति कोली,
4. श्योजीलाल आयु 49 वर्ष पुत्र श्री मदना, जाति कोली,
5. चन्दालाल आयु 44 वर्ष पुत्र श्री मदना, जाति कोली,
   निवासीगण ग्राम चरड़ाना, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
6. जशोदा आयु 69 वर्ष पुत्री श्री पप्पूलाल, जाति कोली, निवासी खेड़ली जागीर, तहसील व जिला बारां (राज0)
7. भूली आयु 59 वर्ष पुत्र श्री मदना पत्नि श्री पप्पूलाल, जाति कोली, निवासी नागादेगव मोहल्ला अटरू, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
8. केला आयु 46 वर्ष पुत्री श्री मदना पत्नि श्री चतुर्भुज, जाति कोली, निवासी मेरमाचाह, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
9. बिरधीबाई आयु 40 वर्ष पुत्री श्री मदना पत्नि श्री हंसराज, जाति कोली, निवासी ग्राम गगचाना, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां (राज0)
10. ललिता आयु 34 वर्ष पुत्री श्री मदना पत्नि श्री श्यामलाल, जाति कोली, निवासी अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां (राज0)
11. रामनारायण आयु 54 वर्ष पुत्र श्री कंवरया, जाति कोली, निवासी ग्राम चरड़ाना, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
12. चन्दालाल आयु 44 वर्ष पुत्र श्री कंवरया, जाति कोली, निवासी ग्राम जलवाड़ा, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)
13. केशर बाई आयु 49 वर्ष पुत्री श्री कंवरया पत्नि स्व0 श्री बंशीलाल, जाति कोली, निवासी मेरमाचाह, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
14. भंवरीबाई आयु 74 वर्ष बेवा कंवरया, जाति कोली, निवासी ग्राम चरड़ाना, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
15. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू, जिला बारां (राज0) .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 18.10.2024**

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 168/2018 निर्णय व डिक्री दिनांक 27.03.2023 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिया अपीलांट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2026–2030 वाके ग्राम चरड़ाना, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0) में खाता संख्या 55 के खसरा नं. 8 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नं. 70 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं. 108 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 109 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं. 112 रकबा 23 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं. 124 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं. 128 रकबा 2 बीघा, खसरा नं. 129 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नं. 130 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 131 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नं. 132 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं. 133 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं. 134 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं. 135 रकबा 2 बीघा, खसरा नं. 136 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 137 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नं. 138 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नं. 139 रकबा 1 बीघा, खसरा नं. 140 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं. 224 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नं. 444 रकबा 18 बीघा, खसरा नं. 445 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 22 रकबा 91 बीघा 15 बिस्वा आराजी उभयपक्षकारान के शामलाती खाते दर्ज थी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27.03.2023 से वादिया का वाद खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.03.2023 पत्रावली के तथ्य, साक्ष्य एवं दस्तावेजी राजस्व रेकार्ड एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों से असंगत विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंटगण अनुसूचित जाति के है, जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1955 से शासित है। अपीलांट के पिता मूल्या के खातेदारी की आराजियात पैतृक आराजियात थी। मृतक मूल्या की मृत्यु उपरान्त फोती नामान्तरकरण से मृतक मूल्या के खाते की आराजियात मृतक मूल्या के प्रथम अनुसूची वर्ग प्रथम के विधिक वारिसान एवं उत्तराधिकारियों के नाम संभाग संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी, रेस्पोडेंट नं. 1 शंकरलाल ने मृतक मूल्या की एक मात्र पुत्री को फौती नामान्तरकरण सं. 94 के सजरे में न दर्शाकर छल, कपट एवं धोखाधड़ी से मृतक मूल्या के खाते की आराजियात अपने एवं अपनी माता भंवरीबाई के नाम संयुक्त खाते दर्ज करवा ली। माता भंवरीबाई की निवृसीयती मृत्यु 1992 में हुई। मृतक भंवरीबाई के फौती नामान्तरकरण में भी रेस्पोडेंट कम 1 ने मृतक भंवरीबाई की एक मात्र पुत्री को सजरे में न दर्शाकर सम्पूर्ण आराजी अपने नाम खाते दर्ज करवा ली। मृतक मूल्या एवं मृतका भूलीबाई का रेस्पोडेंट कम 15 द्वारा खोले गये नामान्तरकरण अवैध एवं शून्य दस्तावेज है, जो अपीलांट के विवादित आराजियात में हक हितों के विरूद्ध शून्य एवं बेअसर होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का वाद निरस्त करने में विधि एवं तथ्य की भारी भूल की है। अस्तु निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है।

वाद में इकबालिया जवाब होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विवाद्यक विरचित नहीं किये गये। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद एवं साक्ष्य के आधार पर यह माना कि "अब न्यायालय के सामने महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या ग्राम पंचायत चरडाना द्वारा खोला गया फौती इंतकाल संख्या 94 दिनांक 26.10.1972 तत्समय प्रचलित हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विरूद्ध था या नहीं ?" इस संबंध में

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार किसी हिन्दू पुरूष की निर्वसीयती मृत्यु होने पर उसकी सम्पत्ति पहले उसके प्रथम श्रेणी के वारिसों में विभाजित होगी। इस प्रकरण में मृतक मूल्या के प्रथम श्रेणी के तीन वारिसान अपीलांट, रेस्पोडेंट कम 1 एवं बेवा भंवरी बाई मौजूद थे। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक मूल्या की मृत्यु उपरांत धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों का अनदेखा कर धारा 6 सहदायिकी के प्रावधानों के आधार पर मृतक मूल्या की पुत्री अपीलांट को मृतक मूल्या का उत्तराधिकारी न मानकर निर्णय व डिक्री पारित की है जो साम्य न्याय एवं उत्तराधिकार विधि के प्रावधानों एवं सिद्धांतों से असंगत होने से निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मूक निर्णय है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों की सही व्याख्या ना कर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया जो मनमाना, आर्बिट्रेरी एवं अविवेकपूर्ण होने से निरस्तनीय है।

किसी भी हिन्दू पुरूष की मृत्यु होने पर मृतक पुरूष की विरासत धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के शासित होती है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की व्याख्या इस प्रकार की है कि धारा 8 मृतक खातेदार के जब तीन लडके एवं एक पुत्री जो गोद लेने के बाद पैदा हुई है जिनका खून का रिश्ता था। मृतक लक्ष्मण के सभी बच्चे गोद पुत्र के साथ अपने प्राकृतिक माता पिता की सम्पत्ति के कानूनन प्रावधान अनुसार उत्तराधिकारी होगें। आर.बी.जे. 2020 पेज नं. 185 एस.सी. कलंदी दामोदर बनाम मनोहर लक्ष्मण कुलकर्णी।

अपीलांट के वाद के तथ्य एवं साक्ष्य व पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व दस्तावेजी प्रमाण के आधार पर अपीलांट वाद की विवादित आराजियात कुल 7 किता क्षेत्रफल 1.77 हेक्टर के 1/2 हक हिस्से के खातेदार कृषक होने की अधिकारिणी होने से अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट का वाद एवं अनुतोष स्वीकार कर वाद वादिया के पक्ष में डिक्री किया जाना था। ऐसा न कर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि की भारी भूल की है।

अपीलांट का वाद निरस्त किये जाने के उपरान्त रेस्पोडेंट कम 1 विवादित आराजियात को खुर्द बुर्द कर तृतीय पक्ष हित अन्तरण करने पर आमादा होने से अपीलांट का रेस्पोडेंट कम 1 के विरूद्ध ता फैसला अपील अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो गया है। अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पृथक से सलंग्न अपील है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.03.2023 निरस्त फरमायी जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद अपीलांट के पक्ष में डिक्री फरमाया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने यह कथन किया है कि वादिया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद वादिया द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से पूर्णतः सिद्ध होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1955 के विधिक प्रावधानों को अनदेखा कर निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक मूल्या की मृत्यु होने के बाद धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों को अनदेखा कर निर्णय पारित किया।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील में वादिया अपीलांट ने यह कथन किया है कि वादिया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद वादिया द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से पूर्णतः सिद्ध होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1955 के विधिक प्रावधानों को अनदेखा कर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 27.03.2023 के निर्णय द्वारा खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक मूल्या की मृत्यु उपरान्त धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों को अनदेखा कर धारा 6 सहदायिकी के प्रावधानों के आधार पर मृतक मूल्या की पुत्री अपीलांट को मृतक मूल्या का उत्तराधिकारी न मानकर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह स्वीकार किया है कि इस प्रकरण में मृतक मूल्या के प्रथम श्रेणी के 3 वारिसान–वादिया/अपीलांट, प्रतिवादी/रेस्पोडेंट नं. 1 व बेवा भंवरीबाई मौजूद थे। अधीनस्थ न्यायालय में वादिया द्वारा पेश ग्राम चरडाना के नामान्तरकरण संख्या 94 दिनांक 26.10.1972 प्रदर्श 2 के अनुसार मृतक मूल्या का फौती इंतकाल उसके पुत्र शंकर व बेवा भंवरी के नाम खोला गया था। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार किसी पुरूष के निर्वसीयत फौत होने पर उसकी सम्पत्ति पहले प्रथम श्रेणी के वारिसानों में विभाजित होगी और यदि प्रथम श्रेणी का कोई वारिस नहीं है तो द्वितीय श्रेणी के वारिसान में विभाजित होगी। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अनुसार वादिया/ अपीलांट मृतक मूल्या की पुत्री होने के कारण प्रथम श्रेणी की वारिसान तो है परन्तु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 के अनुसार मृतक पुरूष की संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में पुत्री को सहदायिक नहीं माना गया है और इसीलिए पुत्री होने के कारण वादिया/अपीलांट को उसके मृतक पिता मूल्या की सम्पत्ति में अधिकार प्रदान नहीं किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में संशोधन कर पुत्रियों को भी पुत्रों के समान मृतक पिता की संयुक्त सम्पत्ति में सहदायिक अधिकार दिये गये। परन्तु वादिया/अपीलांट के पिता मूल्या का फौती इंतकाल संख्या 94 दिनांक 26.10.1972 हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के प्रावधान लागू होने से पहले तस्दीक किया गया। अतः दिनांक 26.10.1972 को तस्दीक हुए इस फौती इंतकाल पर हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के प्रावधान लागू नहीं होने के कारण हम अपील के इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.03.2023 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.03.2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/10/24

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Iud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

भोलीबाई आयु 74 वर्ष पुत्री श्री मूल्या पत्नि श्री कन्हैयालाल, जाति कोली, निवासी ग्राम गगचाना, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां (राज0)

बनाम

....

अपीलांट

1. शंकरलाल, आयु 64 वर्ष पुत्र श्री मूल्या, जाति कोली, निवासी ग्राम चरड़ाना हाल मुकाम पेट्रोल पम्प के पास, सालपुरा स्टेशन कवाई, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
2. दयाकृष्ण दत्तक पुत्र मन्ना, जाति कोली, निवासीगण ग्राम चरड़ाना, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
3. रामकिशन आयु 54 वर्ष पुत्र श्री मदना, जाति कोली,
4. श्योजीलाल आयु 49 वर्ष पुत्र श्री मदना, जाति कोली,
5. चन्दालाल आयु 44 वर्ष पुत्र श्री मदना, जाति कोली,
   निवासीगण ग्राम चरड़ाना, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
6. जशोदा आयु 69 वर्ष पुत्री श्री पप्पूलाल, जाति कोली, निवासी खेड़ली जागीर, तहसील व जिला बारां (राज0)
7. भूली आयु 59 वर्ष पुत्र श्री मदना पत्नि श्री पप्पूलाल, जाति कोली, निवासी नागादेगव मोहल्ला अटरू, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
8. केला आयु 46 वर्ष पुत्री श्री मदना पत्नि श्री चतुर्भुज, जाति कोली, निवासी मेरमाचाह, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
9. बिरधीबाई आयु 40 वर्ष पुत्री श्री मदना पत्नि श्री हंसराज, जाति कोली, निवासी ग्राम गगचाना, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां (राज0)
10. ललिता आयु 34 वर्ष पुत्री श्री मदना पत्नि श्री श्यामलाल, जाति कोली, निवासी अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां (राज0)
11. रामनारायण आयु 54 वर्ष पुत्र श्री कंवरया, जाति कोली, निवासी ग्राम चरड़ाना, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
12. चन्दालाल आयु 44 वर्ष पुत्र श्री कंवरया, जाति कोली, निवासी ग्राम जलवाड़ा, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)
13. केशर बाई आयु 49 वर्ष पुत्री श्री कंवरया पत्नि स्व0 श्री बंशीलाल, जाति कोली, निवासी मेरमाचाह, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
14. भंवरीबाई आयु 74 वर्ष बेवा कंवरया, जाति कोली, निवासी ग्राम चरड़ाना, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
15. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू, जिला बारां (राज0)

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं **2023 / 91**
मु.द.नं0 **168 / 2018**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, अटरू**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **27.03.2023**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **25 माह 09 सन् 2024**

श्री **हरिओम चतुर्वेदी** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, **रेस्पोडेंट अनुपस्थित।**

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.03.2023 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **18 माह 10 सन् 2024** को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)